पत्र संख्या–वि0व0संग्रह / 2019–20 / 664 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(संग्रह–अनुभाग)
लखनऊ :: दिनॉक :: 27 अगस्त, 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश ।

मुख्यालय पर माह जुलाई 2019 के प्रारुप 2 (विभिन्न न्यायिक स्तरों से स्थगित आच्छादित बकाये) यथा प्रथम अपील, मा0 सदस्य न्यायाधिकरण, मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के मामलों में माह के अन्त में स्थगित धनराशियों के अवलोकन पर पाया गया कि अधिकॉश धनराशि विभिन्न स्तरों पर स्थगित हैं। प्रदेश का विवरण निम्न प्रकार है –

(धनराशि लाख रु0 में)

प्रथम अपील		मा0 सदस्य न्यायाधिकरण		मा0 उच्च न्यायालय,		मा0 सर्वोच्च न्यायालय	
संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
3757	473624.93	1527	366794.84	422	19652.71	37	2082.34

कृपया अपने जोन से सम्बन्धित विभिन्न न्यायालयों में स्थगन के मामलों में प्रत्येक स्तर पर स्थगित धनराशियों का गहनतापूर्वक अनुश्रवण करते हुए प्रथम अपीलीय स्तर पर शीघ्र निस्तारण / स्थगन निरस्तीकरण हेतु, द्वितीय अपील स्तर पर उपरोक्तानुसार राज्य प्रतिनिधि के माध्यम से शीघ्र निस्तारण हेतु पत्र प्रेषित कर दिया जाये । उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कार्य के कार्यालय के माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय में स्थगन समाप्ति अथवा शीघ्र निस्तारण के प्रयास कर लिये जायें ।

इसके अतिरिक्त खण्डाधिकारियों द्वारा भरे जाने वाले एवं प्रेषित सूचना उक्त प्रारुप–2 का सत्यापन अपीलीय स्तर के कार्यालय एवं उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय कार्य के कार्यालय से भी किया जाना आवश्यक है क्योकि प्रबल सम्भावना है कि मा0 विभिन्न न्यायालयों के आदेशों की सूचना अथवा अद्यतन सूचना / निस्तारण के सन्दर्भ की सूचना सम्बन्धित कार्यालय में उपलब्ध न हो ।

अतः उपरोक्तानुसार कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को **दिनांक 09.09.2019** तक अवगत करायें ।

27/8/19
(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।